न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 74/2017

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट निवासी नजरबाग राज टाकीज रोड टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.12.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1—श्रीमान तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तकरण संख्या 1995 कस्बा गर्बी स्वीकृत न कर दिनांक 16.03.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां बउनवानी मुकदमा 193/2016 मे मजीदुन्निसा बनाम हमीदुल्लाह मे रिव्यू पेश किया है जिसमे अंकित किया है कि खातेदार हमीदुर्रहमान सईदुर्रहमान मुजीबुर्रहमान पुत्रान फजलर्रहमान पाकिस्तान चले गये है। श्रीमान तहसीलदार टोंक ने कौन से दस्तावेज के आधार पर अंकित किया है उस दस्तावेज की नकल।

2—कौन से वर्ष और किस दिनांक को पाकिस्तान गए।

3—श्रीमान तहसीलदार महोदय को कब ज्ञात हुआ उसकी दिनांक

4—यदि पाकिस्तान जाने वाले की सूचना श्रीमान के कार्यालय मे मोजूद है तो उसकी नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1762 दिनांक 07.11.2017,1835 दिनांक 16.11.2017 व 1930 दिनांक 23.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 8613 दिनांक 23.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 7485 दिनांक 04.10.2017 से आवेदन पत्र से चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक